न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 137 सन 2015

अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र मोहरसिह जाति जाट निवासी चिडियागाधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. हरदयाल पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायलान

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता 3, 4 गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 12/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर के प0न0 358/435(71) किला न0 19/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 , प0न0 357/435(72) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 357/436(80) किला न0 5/0.2530 ,कुल 1.2650हैक व चक 16 एनटीआर के प0न0 358/436(86) किला न0 1/0.2530 ,2/0.2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,कुल 1.0120हैक व चक 19 एनटीआर के प0न0 349/428(56) किला न0 4/0.190 ,5/0.139 ,6 ता 10/1.265, 11/0.227 ,12/.228 ,13/.228 ,14/0.228 ,15/0.228 ,16/.253 ,17/1 की 0.1270 ,20 ,21/0.506 ,प0न0 350/428(57) किला न0 1/0.126 ,2/0.1140 ,3/0.1390 ,8/1 की 0.1260, 9/0.2530 , 10/0.2530 ,11/.2280 ,12/.2270 ,13/10.1270 मु0न0 91/2 की 0.1770हैक गै0मु0 खाला भूमि राजस्व रिकार्ड में सायलान के नाना के नाम से दर्ज है।

उक्त तीनों चकों की भूमि गैरसायल न0 1 को अपने पिता से विरास्तन से मिली है जिस कारण उपरोक्त विवादित भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की पैतृक जददी जायदाद है पैत्रिक भूमि होने के कारण सायलान का उपरोक्त भूमि में जन्म से हक हिस्सा है तथा सायल व दावा के दीगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 व 11 वाद भूमि में 1/7 हिस्सा पाने के अधिकारी है ।

सायल का वाद भूमि में हक हिस्सा होने के उपरान्त भी गैरसायल न0 1 ने बिना खाता विभाजन करवाये चक 19 एनटीआर के प0न0 350/428(57) के किला न0 9/0.2530हैक भूमि दिनांक 16.02.2013 को न्यायालय के स्थगन आदेश होने के उपरान्त बेचान कर दी इसीप्रकार प0न0 349/428(56) किला न0 4/0.1900 ,भूमि सुनिल कुमार को बेय कर दी चक 16 एनटीआर की के खाता संख्या 148/129 के किला न0 4/0.0120हैक व चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 150/151 की कुल 1.2650हैक वचक 19 एनटीआर के खाता संख्या 152/128 की कुल 4.8830हैक भूमि विजेन्द्र पुत्र इन्द्रपाल पौत्र हरदयाल को दान कर दी इसीप्रकार दिनांक 29.6.2015 को रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 148/129 की 1.0120हैक व रोही मोजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 150/151 की 1.2650हैक व चक 19 एनटीआर की खाता संख्या 152/128 तीनों चकों में 3.5420हैक भूमि दान कर दी व चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 152/128 की भूमि बैय कर दी इसप्रकार गैरसायल न0 1 वाद भूमि में 1/7 हिस्सा से अधिक भूमि बैय व दान कर चुका है शेष भूमि में सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 ,11 सयुक्त तौर से व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

सायल की माता लिलावती दिनांक 15.09.2014 को फोत हो चुकी है गैरसायल न0 1 ने सायल की माता औरत जात होने का फायदा उठाकर समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का बेचान कर चुकी है तथा शेष भूमि भी बेचान करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो

जाता है तो सायल का अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा चक 17 एनटीआर के प0न0 358/435(71) किला न0 19/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 , प0न0 357/435(72) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 357/436(80) किला न0 5/0.2530 ,कुल 1.2650हैक व चक 16 एनटीआर के प0न0 358/436(86) किला न0 1/0.2530 ,2/0.2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,कुल 1.0120हैक व चक 19 एनटीआर के प0न0 349/428(56) किला न0 4/0.190 ,5/0.139 ,6 ता 10/1.265, 11/0.227 ,12/.228 ,13/.228 ,14/0.228 ,15/0.228 ,16/.253 ,17/1 की 0.1270 ,20 ,21/0.506 ,प0न0 350/428(57) किला न0 1/0.126 ,2/0.1140 ,3/0.1390 ,8/1 की 0.1260, 9/0.2530 , 10/0.2530 ,11/.2280 ,12/.2270 ,13/10.1270 मु0न0 91/2 की 0.1770हैक गै0मु0 खाला भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में बेवजह गलत अंकित करने के कारण स्वीकार नही है क्योकि दादालाई भूमि में हक हिस्सा होता है किन्तु यह भूमि नाना के नाम है इसलिये दरख्वास्त काबिल खारिज है नाना की भूमि में जन्म से दोहिता का हिस्सा नही होता है वाद भूमि गैरसायल की स्वय की पैदा करदा भूमि है जिसमें सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पानें का अधिकारी नही है सायल वाद भूमि का किसी प्रकार का टिनेन्ट नही होने से सायल को कोई क्षति नही होती है बल्की स्थगन आदेश जारी होने से उतरदाता गैरसायल को अपूर्णीय क्षति होती है सायल किसी प्रकार का स्थगन पाने का अधिकारी नही है हरदयाल सायल राजकुमार का नाना है कि भूमि में हिन्दु विधि के अनुसार जन्म से कोई हक हिस्सा नही है और वाद भूमि गैरसायल स्वय की पैदा करदा भूमि है जिस पर सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 एनटीआर के प0न0 358/435(71) किला न0 19/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 , प0न0 357/435(72) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 357/436(80) किला न0 5/0.2530 ,कुल 1.2650हैक व चक 16 एनटीआर के प0न0 358/436(86) किला न0 1/0.2530 ,2/0.2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,कुल 1.0120हैक व चक 19 एनटीआर के प0न0 349/428(56) किला न0 4/0.190 ,5/0.139 ,6 ता 10/1.265, 11/0.227 ,12/.228 ,13/.228 ,14/0.228 ,15/0.228 ,16/.253 ,17/1 की 0.1270 ,20 ,21/0.506 ,प0न0 350/428(57) किला न0 1/0.126 ,2/0.1140 ,3/0.1390 ,8/1 की 0.1260, 9/0.2530 , 10/0.2530 ,11/.2280 ,12/.2270 ,13/10.1270 मु0न0 91/2 की 0.1770हैक गै0मु0 खाला भूमि राजस्व रिकार्ड में सायलान के नाना के नाम से दर्ज है।

उक्त तीनों चकों की भूमि गैरसायल न0 1 को अपने पिता से विरास्तन से मिली है जिस कारण उपरोक्त विवादित भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की पैतृक जददी जायदाद है पैत्रिक भूमि होने के कारण सायलान का उपरोक्त भूमि में जन्म से हक हिस्सा है तथा सायल व दावा के दीगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 व 11 वाद भूमि में 1/7 हिस्सा पाने के अधिकारी है ।

सायल की माता लिलावती दिनांक 15.09.2014 को फोत हो चुकी है गैरसायल न0 1 ने सायल की माता औरत जात होने का फायदा उठाकर समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जिसका उसे कोई अधिकार नही था एंव गैरसायल न0 1 ने अपने नाम भूमि होने का फायदा उठा कर स्थगन होने के उपरान्त भी बेचान एवं जरिये दान खूर्द बूर्द की जा रही है गैरसायल न0 1 ने अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का बेचान कर चुका है तथा शेष भूमि भी बेचान करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल का अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र. स्वीकार फरमाया जावे।

वकील गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में बेवजह गलत अंकित करने के कारण स्वीकार नही है क्योकि दादालाई भूमि में हक हिस्सा होता है किन्तु यह भूमि नाना के नाम है इसलिये दरख्वास्त काबिल खारिज है नाना की भूमि में जन्म से दोहिता का हिस्सा नही होता है वाद भूमि गैरसायल की स्वय की पैदा करदा भूमि है जिसमें सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पानें का अधिकारी नही है सायल वाद भूमि का किसी प्रकार का टिनेन्ट नही होने से सायल को कोई क्षति नही होती है बल्की स्थगन आदेश जारी होने से उतरदाता गैरसायल को अपूर्णीय क्षति होती है सायल किसी प्रकार का स्थगन पाने का अधिकारी नही है हरदयाल सायल राजकुमार का नाना है कि भूमि में हिन्दु विधि के अनुसार जन्म से कोई हक हिस्सा नही है और वाद भूमि गैरसायल स्वय की पैदा करदा भूमि है जिस पर सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा वाद भूमि में सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 17 एनटीआर के प0न0 358/435(71) किला न0 19/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 , प0न0 357/435(72) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 357/436(80) किला न0 5/0.2530 ,कुल 1.2650हैक व चक 16 एनटीआर के प0न0 358/436(86) किला न0 1/0.2530 ,2/0.2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,कुल 1.0120हैक व चक 19 एनटीआर के प0न0 349/428(56) किला न0 4/0.190 ,5/0.139 ,6 ता 10/1.265, 11/0.227 ,12/.228 ,13/.228 ,14/0.228 ,15/0.228 ,16/.253 ,17/1 की 0.1270 ,20 ,21/0.506 ,प0न0 350/428(57) किला न0 1/0.126 ,2/0.1140 ,3/0.1390 ,8/1 की 0.1260, 9/0.2530 , 10/0.2530 ,11/.2280 ,12/.2270 ,13/10.1270 मु0न0 91/2 की 0.1770हैक गै0मु0 खाला भूमि राजस्व रिकार्ड गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल न0 1 के पक्ष में पाया जाता है।

सायल ने वाद भूमि जो उसके नाना हरदयाल के नाम से दर्ज है में अपने हक हिस्सा की मांग की गई है।

सायल की माता लिलावती का देहान्त हो चुका है जो कि गैरसायल न0 1 हरदयाल की पुत्री है सायल की माता अर्थात पुत्री भी अपने पिता की सम्पति में हक हिस्सा प्राप्त कर सकती है और सायल जो लिलावती का पुत्र है अपनी माता की सम्पति में हक हिस्सा प्राप्त करने की मांग कर सकता है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होना है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है जिसके द्वारा कभी भी भूमि को रहन बेय किया जा सकता है प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार गैरसायल न0 1 के द्वारा पूर्व में भी वाद भूमि में से कुछ भूमि को बेचान व जरिये दान स्थानान्तरण किया गया है जिससे प्रतित होता है कि वह शेष भूमि को भी रहन बैय कर सकता है यदि सायल के हक, जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होना है उससे पूर्व यदि गैरसायल के द्वारा भूमि को खूर्द बूर्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायल को ना होकर सायल को होगी इसलिये गैरसायल को वाद के निस्तारण होने तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 03.11.2015 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है उक्त भूमि में यदि खाला व रास्ता है तो उस पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)